न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 26/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/36

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.पुखराज पुत्र टोमाराम 2.पारू पुत्र टोमाराम 3.भीयाराम पुत्र टोमाराम 4.राजूराम पुत्र टोमाराम जाति जाट निवासी शिवनगरी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.अनिता पुत्री पुनाराम जाति नाई 2.नारायणी पत्नि पूनाराम जाति नाई 3.पुखराज पुत्र पुनाराम जाति नाई 4.फरसाराम पुत्र पुनाराम जाति नाई 5.मंजू पुत्री पूनाराम जाति नाई 6.खेताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट 7.तुलछाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट 8.भंवराराम पुत्र तिलाराम जाति जाट 9.भीकीदेवी पत्नि तिलाराम जाति जाट 10.मनमोहन पुत्र रूपाराम जाति जाट 11.सालूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी शिवनगरी तहसील कल्याणपुर 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 5
3.विप्रार्थी संख्या 6 से 12 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 21/07/25

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी पटवार हल्का ग्वालनाड़ा तहसील कल्याणुर की खेत खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 2.0234 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम शिवनगरी पटवार हल्का ग्वालनाड़ा तहसील कल्याणुर की खेत खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 2.0234 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री छत्रकरण भाटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। शेष विप्रार्थी संख्या 6 से 12 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी पटवार हल्का ग्वालनाड़ा तहसील कल्याणुर की खेत खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 2.0234 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने से बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी पटवार हल्का ग्वालनाड़ा तहसील कल्याणुर की खेत खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 2.0234 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र सारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी की ओर से कभी दंखलदान्जी नही की गई है,जबकि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि के बीच में माढ कायम है,इस कारण सीमाओं को लेकर विवाद कायम नही है। इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी एकपक्षीय तैयार करवाई गई है। जिसका विप्रार्थी को कोई ज्ञान नही है। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

5. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम शिवनगरी पटवार हल्का ग्वालनाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 26/2025
पुखराज बनाम अनिता वगैरा

तहसील कल्याणुर की खेत खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 2.0234 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08.4.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में यह कहीं स्पष्ट नही है कि कौन सी दिशा में सीमा विवाद है तथा सेढा पड़ौसीयो को सीमाज्ञान करने से पूर्व नोटिस दिए गए हों,ऐसा रिपोर्ट में कही उल्लेख नही किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम शिवनगरी पटवार हल्का ग्वालनाड़ा तहसील कल्याणुर की खेत खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 2.0234 हैक्टयर भूमि की सीमाज्ञान कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। सीमाज्ञान कार्यवाही करने से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिए नोंटिस सूचित करते हुए सीमाज्ञान कार्यवाही उनकी उपस्थिति में की जानी सुनिश्चित करावे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)

21/07/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/07/25 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

21/07/2025

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा